उत्तर प्रदेश शासन,
सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2
सं० यू०ओ० 197/44-2/1994.
लखनऊः दिनांकः 21 अक्टूबर, 1994

कार्यालय–ज्ञाप

प्रदेश में कार्यरत सभी सार्वजनिक उद्यमों की समस्त निर्माणाधीन एवं क्रियान्वित (आपरेशन) योजनाओं के अनुश्रवण में दोहरेपन की स्थिति से बचने के लिए नियोजन विभाग की सहमति से कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1337/ब्यूरो/1979 लखनऊः दिनांकः 4 अप्रैल, 1979 के द्वारा निम्न आदेश निर्गत किये गये थेः–

(1) समस्त सार्वजनिक उद्यमों की समस्त निर्माणाधीन योजनाओं का अनुश्रवण राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र० द्वारा किया जायेगा।

(2) सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग द्वारा सार्वजनिक उद्यमों की क्रियान्वित (आपरेशनल) योजनाओं का अनुश्रवण किया जायेगा।

शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय उद्यमों के सम्बन्ध में उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं हो रहा है जिससे दोहरी अनुश्रवण की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

2- अतएव नियोजन विभाग से विचार–विमर्श करके पुनः निर्देश दिया जाता है कि राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र०, द्वारा सार्वजनिक उद्यमों की समस्त निर्माणाधीन योजनाओं का अनुश्रवण निर्माण कार्य पूर्ण होने तक किया जायेगा। सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ०प्र०, द्वारा उद्यमों की क्रियान्वित (आपरेशनल) योजनओं का अनुश्रवण किया जायेगा ताकि दोनों पहलुओं (निर्माणाधीन एवं आपरेशनल योजनाएं) की समीक्षा शीर्ष स्तरों पर सुनियोजित एवं व्यवस्थित ढंग से की जा सके।

आर०एस० माथुर
प्रमुख सचिव।

संख्या यू०ओ०197 (1)/चौवालिस-2/94, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।
(2) सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों से सम्बन्धित शासन के समस्त अनुभाग।
(3) सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त निगमों/उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी गण।
(4) निदेशक, राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र,
(5) महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ०प्र०,
(6) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–।

आज्ञा से,
[आर०एस० निगम]
विशेष सचिव।